सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 माघ, 1947 (श०)

संख्या - 29 राँची, बुधवार, 28 जनवरी, 2026 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

28 जनवरी, 2026

संचिका सं0-13/नि0आनंद विवाह-36/2016 -28/नि0,--निदेशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में W.P.(C) No.-911/2022 Shree Amanjot Singh Chadha V/s Union of India and Ors में दिनांक- 04.09.2025 को पारित न्यायादेश की कंडिका 12(iv) में प्रत्येक प्रतिवादी को अपने राज्य में आनंद कारज विवाह के पर्यवेक्षण एवं शिकायत निवारण हेतु एक सचिव स्तरीय नोडल पदाधिकारी नामित करने का निदेश दिया गया है ।

उक्त आदेश के अनुपालन हेतु झारखण्ड राज्य में आनंद कारज विवाह के पर्यवेक्षण एवं शिकायत निवारण हेतु सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। साथ ही, इस कार्य की महत्ता के आलोक में दैनिक अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को सहायक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

यह अधिसूचना, निर्गम की तिथि से प्रभावी होगा ।

प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

श्वेता कुमारी,
उप निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 29 - 50